न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 220 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/236)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 01.11.2021

1. श्री शांतिलाल पिता भागीरथ ब्राह्मण, निवासी करोली, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौडगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, निकुम्भ, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या
93 / 2016 (राजस्व अपील) निर्णय दिनांक 04.01.2019

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01.11.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 93 / 2016 (राजस्व अपील) निर्णय दिनांक 04.01.2019 के विरूद्ध दिनांक 18.01.2019 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 29.11.2019 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का पुनावली द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने मौजा करोली की आराजी नम्बर 787 चरागाह में से रकबा 0.21 हैक्टेयर पर संवत् 2072 में अतिक्रमण कर पड़त व बाडा बना रखा है व अपीलांट अतिक्रमी ने पूर्व में भी मक्का की काश्त की है। जिसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही अमल में ली जाकर बेदखल किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 572/2016 निर्णय दिनांक 08.12.2016 से अतिक्रमी (अपीलांट) को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाने एवं लगान का 50 गुना शास्ती आरोपित की जाकर वसूल कर राजकोष में जमा कराये जाने का निर्णय पारित किया जाने से अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ में प्रथम अपील पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 93/2016 निर्णय दिनांक 04.01.2019 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने के कारण अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.01.2019 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"प्रकरण पर प्रश्नगत आराजी भूमि किस्म चरागाह होने से नियमन की श्रेणी में नही आती है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2016 निर्णय दिनांक 16.05.2016 से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि अपीलांट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें परंतु*

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा अपना पक्ष रखने के संबंध में कोई तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किय है। उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर विवादित आराजीयत के संबंध में अपना पक्ष साबित नही कर पाया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेजात पेश किये गये, उसके संबंध में अपीलांट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित किया, उसी आदेश को अपीलीय न्यायालय ने यथावत रखाये जाने का निर्णय पारित कर दिया। आराजी नम्बर 787 बड़ा रकबा होकर पट्टी के रूप में है जो बागन नदी एवं खातेदारान की आराजीयात के बीच में आता है, जिस गांव के कई खातेदारान ने अपने सर्वेले में कब्जे कर रखे है फिर भी गांव वालो की शिकायत के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। अपीलांट का विवादित भू–भाग पर अपने पूर्वजों से नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है, जो नियमन येाग्य कब्जा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का निर्णय पारित कर दिया, एवं उसी आदेश को यथावत रखाये जाने का आदेश पारित कर दिया, जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.01.2019 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 04.01.2019 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बड़ीसादड़ी द्वारा ग्राम करोली के खसरा नं0 787 रकबा 0.21 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर अपीलाण्ट के अतिक्रमण किये जाने के कारण अपने प्रकरण संख्या 572/2016 निर्णय दिनांक 08.12.2016 से अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने एवं शास्ति का आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के यहां प्रथम अपील संख्या 93/2016 प्रस्तुत की जो अतिरिक्त जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.01.2019 से अपील खारिज कर कर दी। प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 04.01.2019 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2019 को प्रस्तुत की है। अपील में अपीलाण्ट द्वारा आधार लिये गये हैं, वह यह है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जबाब का अवसर चाहा परन्तु उसे अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की। विवादित भूमि चारागाह नहीं होकर बिलानाम भूमि काबिल काश्त भूमि है, फिर भी अपीलाण्ट को अतिक्रमी मान लिया। उसका अतिक्रमण नियमन की परिधि में नहीं आना मान लिया है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, उन पर जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया केवल एकतरफा बयानों के आधार पर जुर्माना व शास्ति का आदेश पारित कर दिया। खसरा सं. 787 बड़ा रकबा होकर पट्टी के रूप में है तथा नियमन योग्य है।

प्रकरण में हम यह पाते हैं कि प्रकरण में समायत बहस, अपीलाण्ट के उज्र, राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार के यहां प्रकरण दिनांक 20.01.2016 को प्रस्तुत होने के बाद अपीलाण्ट को कई अवसर दिये गये हैं तथा इस दौरान उसके द्वारा उक्त भूमि के चारागाह नहीं होने

तथा बिलानाम होने या उसके नियमन की पात्रता रखे जाने बाबत् कोई साक्ष्य तहसीलदार के यहां प्रस्तुत नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.12.2016 को आदेश पारित किया है।

प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चारागाह भूमि का निजी प्रयोजनार्थ नियमन नहीं किये जाने के निर्देश है, जो इस देश में अब कानून बन चुका है। भूमि के चारागाह नहीं होने अथवा अपीलाण्ट को भूमि धारित किये जाने के लिए कोई अधिकारिता संबंधित दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं है, जिससे भूमि को चारागाह नहीं माना जावें अथवा अपीलाण्ट को उक्त चारागाह भूमि को धारण करने की अधिकारिता मानी जावें। समग्रतः हम यह पाते हैं कि अपीलाण्ट के चारागाह भूमि पर अतिक्रमी होने के आधार पर तहसीलदार एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रथम अपील में अपीलाण्ट की बेदखली एवं जुर्माने का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर